न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
74 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	15.07.2025	04.09.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा निवासी गोगोरियों की ढाणी मोरीजा रोड चीथवाडी तह. चौमू जिला जयपुर एफ.बी.ओ. / मावा विक्रेता मैसर्स लालाराम शर्मा गोगोरियों की ढाणी मोरीजा रोड चीथवाडी तह. चौमू जिला जयपुर। पिनकोड–303805 सैम्पल टेकन एट वाहन सख्या आर.जे.41 सी.ए. 7013 महिन्द्रा एक्सयूव 300 अशोक नगर झिलाई रोड जुगलपुरा ढाणी निवाई जिला टोंक राज0। मोबाईल नं0 8947957663

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री राजेन्द्र गूर्जर उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 04/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.05.2025 को समय 06:15 ए.एम. पर वास्ते निरीक्षण झिलाई रोड ढाणी जुगलपुरा निवाई जिला टोंक पर उपस्थित था, मुखबिर द्वारा दूरभाष पर सूचना मिलने पर वाहन संख्या आर.जे. 41 सीए 7013 महिन्द्रा एक्सयूवी 300 सफेद रंग की जो कि जयपुर की ओर से आ रही थी, को रूकवाकर पूछताछ करने पर उक्त वाहन में श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा उपस्थित मिला। श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर मैसर्स लालराम शर्मा गोगोरियों की ढाणी मोरीजा रोड चीथवाडी तह. चौमू जिला जयपुर का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुंज्ञा पत्र मांगने पर मोबाईल पर मंगवाकर दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु उक्त वाहन में बीच वाली सीट पर प्लास्टिक की 7 थैलियों में एवं गाडी की डिक्की में प्लास्टिक की 8 थैलियों में प्रत्येक थैली में 20 किलोग्राम कुल मात्रा लगभग 300 किलोग्राम **मावा(खोया)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

डी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर वाहन में बीच वाली सीट मे प्लास्टिक की 7 थैलियों में एवं गाडी की डिक्की में प्लास्टिक की 8 थैलियों में प्रत्येक थैली मे 20 किलोग्राम कुल मात्रा लगभग 300 किलोग्राम **मावा(खोया)** में से कुल 1 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मावा(खोया)** 1 किलोग्राम को हिलामिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ व सूखी प्लास्टिक की सूखी शिशियों में बराबर–बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर (प्रत्येक भाग 250 ग्राम) बतौर परिरक्षित प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे डालकर, अच्छी तरह हिला–मिलाकर प्रत्येक शीशी को गोद से अच्छी तरह चिपकाया, डिब्बों ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4385 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षरं शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4385 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/757 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/2420/एक्ट/2025/2439 दिनांक 26.05.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **मावा(खोया)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री राजेश गूर्जर उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नही करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मावा(खोया)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **मावा(खोया)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 11,000/– (अक्षरे ग्यारह हजारं रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन बोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज